


संविधान

- संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है।



विधि (Law)

Constitutional Law
(संवैधानिक विधि)

- अनुच्छेद

Ordinary Law
(सामान्य विधि)

- मोटर वाहन अधिनियम

- धरोहर हिंसा अधिनियम

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,
1951

- संविधान के द्वारा सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल हैं।
- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति के इसी वित्तवारे को शक्ति पृथक्करण (Separation of power) कहा जाता है और

संविधान के द्वारा शक्तियों के वृथक्करण के साथ सरकार के प्रत्येक अंग पर निश्चित प्रतिबंध भी आरोपित होते हैं।

संविधानवाद (Constitutionalism)

- अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता, अधिकार, समानता और न्याय जैसे मूल विचारों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया।
- इन्हें संरक्षित करने हेतु सरकार की शक्तियों को सीमित व नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।
- सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का सहारा लिया गया:-
 - i) शक्ति वृथक्करण
 - ii) विधि की सर्वोच्चता अथवा संविधान की सर्वोच्चता
 - iii) मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

इसीलिए संविधानवाद सीमित शासन अथवा लोकतांत्रिक शासन का पर्याय है।

- संविधानवाद को विधि के शासन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसके अभिप्राय निम्नलिखित हैं :-

- i) विधि ही सर्वोच्चता
- ii) सभी व्यक्तियों की विधि के समक्ष समानता
- iii) व्यक्ति कोई भी पद, प्रतिष्ठा या सम्पत्ति अर्जित क्यों न करें, सभी के लिए एकसमान विधि होगी।

- संविधानवाद को संवैधानिक सरकार के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि संवैधानिक सरकार का अर्थ संविधान और विधि के द्वारा सीमित सरकार है।

* संविधानवाद किन मान्यताओं से प्रथक है?

- i) संविधान होना, संविधानवाद होने की गारंटी नहीं है। उदाहरण - उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, सउदी अरब आदि देशों में संविधान होने के बावजूद भी संविधानवाद नहीं है।

ii) व्यक्ति का शासन और व्यक्ति की सर्वोच्चता जहाँ संविधान शासकों की इच्छा से नियंत्रित होता है।

iii) तानाशाही अथवा अधिनायकवादी शासनों में बार-बार शासक संविधान बदल देते हैं।

* कुछ ऐसे देश जहाँ संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ संविधानवाद मौजूद है। उदाहरणार्थ:- ब्रिटेन

ब्रिटेन संविधान नहीं है संविधानवाद है	उत्तर कोरिया/चीन संविधान है संविधानवाद नहीं है।	भारत संविधान है। संविधानवाद भी है।
---	---	--

* सूजीवाद :- i) श्रमिक, भवन और सभी प्रकार के आर्थिक संसाधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण

ii) आर्थिक गतिविधियों के संयोजन में उतिस्पर्धा को महत्व देना

iii) लाभ के लिए उत्पादन करना

* **समाजवाद** १) आर्थिक समानता, समाजवाद का मूल सिद्धांत है।

ii) आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए राज्य के द्वारा भूमि, भवन, उद्योग आदि पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है।

iii) राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

iv) समाज में प्रतिस्पर्धा के बजाय वैधुत्व को बढ़ावा दिया जाता है।

राज्यवस्था

- संविधान एक जीवित दस्तावेज होता है, जिसकी व्याख्या समय-समय पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसीलिए राज्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को भी शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को जीवन और वैहिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय ने पुरास्वामीवाद में निजता

के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का भाग माना है।

- संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है लेकिन यह अत्यधिक सूक्ष्म रूप में लिखा गया है।
उदाहरण के लिए अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग की संरचना और कार्य का उल्लेख किया गया है, जिसके विस्तार के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का निर्माण किया गया है। अतः संसदीय अधिनियम भी राजत्ववशा के अंतर्गत शामिल होते हैं।

KGS



IAS